भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 619
(05 फरवरी, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गाँवों को जोड़ा जाना

619. श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा पाँच सौ की आबादी वाले प्रत्येक गांव को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत जोड़ने का निर्णय लिया गया है;
(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा;
(ग) बिहार के समस्तीपुर जिले के इस योजना के तहत बनायी जा रही कितनी सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं जिनका निर्माण कार्य समय-सीमा के भीतर पूरा नहीं किया जा सका; और
(घ) जो ठेकेदार दी गई समय-सीमा के भीतर सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा नहीं कर सके उनके विरूद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की शुरुआत कोर नेटवर्क में स्थित निर्धारित जनसंख्या आकार (वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और हिमालयी संघ राज्य क्षेत्रों, मरूस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों में 250 से अधिक) वाली संपर्कविहीन पात्र बसावटों को एकल बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण सड़क संपर्क प्रदान करके ग्रामीण जनसंख्या की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में उत्थान करने के उद्देश्य से की गई थी। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कवरेज के लिए पहचान की गई 250 से अधिक और 500 से अधिक जनसंख्या

आकार वाली 1,78,184 बसावटों में से 16,086 बसावटों को राज्यों द्वारा अपने संसाधनों से सड़क संपर्क उपलब्ध करा दिया गया है और 4,676 बसावटें या तो छोड़ दी गई हैं या व्यवहार्य नहीं पाई गई हैं। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृत शेष 1,57,422 बसावटों में से 1,54,111 बसावटों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जा चुका है। सभी शेष व्यवहार्य बसावटों को मार्च 2022 तक सड़क संपर्क उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

(ग): राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पीएमजीएसवाई-। के अंतर्गत बिहार के समस्तीपुर जिले में अलग-अगल वर्षों में कुल 675 सड़कें स्वीकृत की गई हैं जिनकी लंबाई 1891.22 कि.मी. है। इसमें से 28 जनवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार कुल 651 सड़कें बना ली गई हैं जिनकी लंबाई 1836.18 कि.मी. है तथा 24 सड़क कार्य पूरा किया जाना बाकी है। विभिन्न कारणों से इसमें से 23 सड़क कार्य समय पर पूरे नहीं किए जा सके। पीएमजीएसवाई-।। के अंतर्गत कुल 8 सड़कें स्वीकृत की गई हैं जिनकी लंबाई 61.95 कि.मी. है। दिनांक 1 फरवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार कुल स्वीकृत लंबाई में से केवल 7.8 कि.मी. सड़क बनाई गई है।

(घ): राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार, कार्यनिष्पादन नहीं करने वाले ठेकेदारों की पहचान कर ली गई है और ऐसे ठेकेदारों के करार रद्द कर दिए गए हैं तथा अपेक्षित राशि जब्त करने और उनके पंजीयन को काली सूचनी में □ालने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

*****